विनियोग संख्या 62 - भारत का उच्चतम न्यायालय
APPROPRIATION No. 62–SUPREME COURT OF INDIA

			कुल विनियोग Total appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
			(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)		
राजस्व:	**Revenue:**				
प्रभारित-	*Charged–*				
मूल	*Original*	*43,27,00*	*52,00,00*	*48,89,80*	*–3,10,20*
पूरक	*Supplementary*	*8,73,00*			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*3,08,00*

टीका और टिप्पणियां

1. *विनियोग*में, कुल बचतें (*310.20 लाख* रु.) मार्च, 2007 में प्राप्त किए गए *873.00 लाख* रु. के पूरक *विनियोग* का 36 प्रतिशत और कुल स्वीकृत *विनियोग* का 6 प्रतिशत थीं।

Notes and comments

1. In the *appropriation*, the overall savings (*Rs.310.20 lakhs*) constituted 36 percent of the supplementary *appropriation* of *Rs.873.00 lakhs* obtained in March, 2007 and 6 percent of the total sanctioned *appropriation.*

बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई:-

Saving occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2014"	Major Head "2014"				
न्याय प्रशासन	Administration of Justice				
मू.	*O.*	*4327.00*	*4892.00*	*4889.80*	*–2.20*
पू.	*S.*	*873.00*			
पु.	*R.*	*–308.00*			

(I) "उच्चतम न्यायालय - स्थापना" के अंतर्गत *4327.00 लाख* रु. के मूल *विनियोग* को *873.00 लाख* रु. का पूरक *विनियोग* प्राप्त करके बढ़ाकर *5200.00 लाख* रु. कर दिया गया तथापि, जो ई-समिति द्वारा उपयोग न किए जाने, रजिस्ट्रारों को बकाया राशियों की अदायगी न किए जाने तथा वित्त मंत्रालय से विभागीय कैंटीन का ग्रेड बढ़ाने से संबंधित सूचना प्राप्त न किए जाने के कारण *310.20 लाख* रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(I) Under "Supreme Court – Establishment" – the original *appropriation* of *Rs.4327.00 lakhs* was augmented to *Rs.5200.00 lakhs* by obtaining supplementary *appropriation* of *Rs.873.00 lakhs* which, however, remained unutilised to the extent of *Rs.310.20 lakhs* – due to non-utilisation by E-Committee, non-payment of arrears to Registrars and non-receipt of intimation regarding upgradation of Departmental Canteen from the Ministry of Finance.